उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी0-04 **/वसूली /2022–23** **दिनांकः** 06.04.2022

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
   उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त शाखा प्रबन्धक,
   उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
   उत्तर प्रदेश।

विषयः– विशेष वसूली अभियान वर्ष 2021–22।

आप अवगत हैं कि सहकारी वसूली वर्ष 2021–22 समाप्त होने में मात्र तीन माह का समय अवशेष रह गया है। मुख्यालय स्तर पर वसूली की समीक्षा किए जाने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि अनन्तिम विवरण पत्र के अनुसार दि0 31.03.22 तक कुल मॉग रू0 1936.14 करोड़ के सापेक्ष समायोजन सहित रू0 436.31 करोड़ की वसूली हुयी है जबकि गत वर्ष समान अवधि में रू0 533.18 करोड़ की वसूली हुई थी। इस प्रकार प्रदेश स्तर पर वसूली (–) 96.87 करोड़ से पीछे है। प्रदेश स्तर पर 253 शाखायें ऐसी है जिनकी वसूली दि0 31.03.2022 तक गत वर्ष से पीछे रही है। इन शाखाओं के पीछे होने की वजह से प्रदेश स्तर पर वसूली अत्यधिक धनराशि से पीछे चल रही है।

उक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि वसूली जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण लगन एवं मनोयोग से प्रयास नहीं किये जा रहे है अन्यथा परिणाम आशानुरूप होते। बैंक देयों की वसूली प्रभावित होने की स्थिति में हम अपनी देनदारियों यथा–नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय देनदारियों के निवर्हन में एवं बैंक व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उक्त स्थिति किसी भी वित्तीय संस्था के हित में नहीं है।

अतएव यह आवश्यक है कि सहकारी वसूली वर्ष 2021–22 की अवशेष अवधि में वसूली हेतु एक ठोस रणनीति तैयार कर उस पर गम्भीरतापूर्वक अनुपालन करते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास कर वसूली में उत्तरोत्तर गति लाई जाय।

इस सम्बन्ध में यद्यपि परिपत्र सं0 सी–11/वसूली कार्यक्रम/2021–22 दि0 05.08.2021 द्वारा एवं परिपत्र सं0 सी–34 दि0 14.03.22 .द्वारा भी यथा आवश्यक दिशा–निर्देश पूर्व में प्रसारित किये गये है, पुनः बैंक की वित्तीय स्थितियों के दृष्टिगत एवं नाबार्ड एवं शासन द्वारा लगातार वसूली हेतु दिये जा रहे निर्देशों के क्रम में आपको निम्न निर्देश दिए जाते हैंः–

1. शाखा के कार्मिकों के मध्य आप द्वारा वसूली क्षेत्र/बकायेदारों का आवंटन कर दिया गया होगा। इस सम्बन्ध में पुनः यह निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र/बकायेदारों से वसूली हेतु पर्याप्त तकाजा किया जाए और व्यक्तिगत तकाजे के अतिरिक्त उनसे मोबाइल तथा अन्य संचार माध्यमों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि सभी बकायेदारों से कार्मिकों का सम्पर्क निरन्तर बना रहे।
2. चालू मांग की वसूली पर विशेष बल दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चालू मांग की शत–प्रतिशत वसूली दिनांक 30 जून 2022, तक अवश्य कर ली जाए। विशेष रूप से दि0 01.03.21 से वितरित ऋणों के सापेक्ष वसूली की समीक्षा प्रत्येक स्तर पर अवश्य की जाय।
3. चालू मांग की वसूली के लिए यह आवश्यक है कि यथा आवश्यक लगाई गई किश्तों की मांग तिथि के 15 दिन पूर्व सम्बन्धित कृषक को सामान्य नोटिसें अवश्य प्रेषित कर दी गई हो। यदि अभी तक इस प्रकार की नोटिस कृषकों को तामील नहीं कराया गया हो, तो एक विशेष अभियान चलाकर सभी कृषकों को चालू किश्त की नोटिसें अवश्य